बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–विविध–24/2017– 3476   खाद्य, पटना/दिनांक– 20.07.18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– राशन कार्ड का आधार सीडिंग एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक–9(2)/2016-PD.II (E.337150) दिनांक 02.07.2018 एवं अधिसूचना सं0–3171(E) दिनांक 29.06.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उपरोक्त वर्णित पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों के राशन कार्ड का आधार सीडिंग के लिए छुटे हुए लाभुकों के आधार इनरौलमेंट का अवधि 30 जून, 2018 से बढ़ाते हुए 30 सितम्बर, 2018 तक किये जाने की सूचना देते हुए उसका प्रचार–प्रसार कराते हुए हर–हाल में 30 सितम्बर, 2018 तक आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि End to End Computerization के द्वितीय चरण में FPS योजनान्तर्गत सभी लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों में Rental Basis पर Aadhaar based PoS यंत्रों के अधिष्ठापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित पत्र के आलोक में अविलम्ब कार्य योजना तैयार की जाए एवं विशेष शिविर लगाकर सभी लाभुकों के आधार सीडिंग एवं Bulk Authentication कार्य 30 सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कराने की कृपा की जाय। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी लाभुक को आधार कार्ड के एवज में खाद्यान्न से वंचित नही किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
20/7
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–24/2017– 3476   खाद्य, पटना/दिनांक– 20.07.18

प्रतिलिपि –सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–24/2017– 3476   खाद्य, पटना/दिनांक– 20.07.18

प्रतिलिपि – राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, टेक्नोलॉजी भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–24/2017– 3476   खाद्य, पटना/दिनांक– 20.07.18

प्रतिलिपि – उप महानिदेशक, UIDAI, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–24/2017– 3476   खाद्य, पटना/दिनांक– 20.07.18

प्रतिलिपि – एम0के0एस0 इन्टरप्राइजेज, पटना/उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन, पटना एवं Emdee Digitronics Pvt. Ltd., कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/VII
सरकार के अपर सचिव।

No. 9(2)/2016-PD.II(E.337150)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 2nd July, 2018

To

The Secretary/Commissioner
Food & Civil Supplies
All State/UT Governments
(Except Assam, Jammu & Kashmir and Meghalaya)

Subject: Requirement for Aadhaar Enrolment for beneficiaries of NFSA.

Sir/Madam,

Kindly refer to DO letter No. 9[6]/2010-PD.II dated 6th March, 2017 intimating that a Notification has been issued by Deptt of Food & PD vide SO No. 371(E) Dated 08.02.2017 which interalia requires individual beneficiaries under NFSA to furnish proof of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication to receive subsidies under NFSA. The Notification furthers requires that beneficiaries under NFSA who do not possess the Aadhaar Number or are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing subsidies under NFSA, should make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 later extended a number of times upto 30th June, 2018. A copy of above DO letter as well as Notification issued vide SO No. 371[E] dated 08.02.2017 alongwith various extension notifications are available on the official website of this Department. i.e.: dfpd.nic.in.

2. You are informed that vide Notification SO No. 3171(E) dated 29th June, 2018(copy enclosed) Department of Food & Public Distribution has extended the above date for Aadhaar Enrolment/application for Aadhaar Enrolment from 30th June, 2018 to 30th September, 2018. You are therefore requested to kindly take all necessary steps for implementation of the above notification.

3. The above decision should be given vide publicity through various measures for information of beneficiaries and public at large.

Yours faithfully,

Encl: As Above.

(Rajesh Kumar Pandeer)
Under Secretary to the Government of India

P.T.O.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2422] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940
No. 2422] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 3171(अ).—केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा-1, के उप-पैरा (2) में "30 जून, 2018 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) पैरा-2 के उप-पैरा (1) में "30 जून, 2018 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

प्रमोद कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 2040(अ), तारीख 29 जून, 2017, का. आ. 3176(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2017, का.आ. 4065(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2018 तथा का.आ. 1460(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2018 द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

330

27

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 3171(E).—In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 371(E), dated the 8th February, 2017, namely :—

In the said notification,—

(a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 30th June, 2018", the words, figures and letters "by 30th September, 2018" shall be substituted;

(b) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words, figures and letters "by 30th June, 2018", the words, figures and letters "by 30th September, 2018" shall be substituted.

[F. No. 9(2)/2016-PD II]

PRAMOD KUMAR TIWARI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 371(E), dated the 8th February, 2017 and amended *vide* notifications number S.O. 2040(E), dated the 29th June, 2017, S.O. 3176(E), dated the 28th September, 2017, S.O. 4065(E), dated the 26th December, 2017 and S.O. 1460(E), dated the 2nd April, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.29 23:15:10 +05'30'